न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गोहनलाल बनाम खेमचन्द

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/85/2025

11.08.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 209 खसरा संख्या 1449/0.28, 1488/0.23, 2225/0.35, 2401/0.06, खाता संख्या 210 खसरा संख्या 2249/0.45, 2250/0.18 वाकै ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर को बिना तकसीम कराए आराजी में किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य नही करें। किसी भी दीगर शख्सों को रहन बय हिबा आदि किसी भी प्रकार से मुंतकिल का दस्तावेज पेश न करें। उक्त आराजी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करे। अन्त में उक्त विवादित आराजी के रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी की मुताबिक जमाबन्दी आराजी खाता संख्या 209, 210, वाकै ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। **अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी खाता संख्या 209 खसरा संख्या 1449/0.28, 1488/0.23, 2225/0.35, 2401/0.06, खाता संख्या 210 खसरा संख्या 2249/0.45, 2250/0.18 वाकै ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर* में आगामी जवाब पेशी तक मौके व रिकार्ड की यथास्थितु पाबन्द किया जाता है।** प्रार्थीगण को निदेर्शीत किया जाता है कि अप्रार्थीगण को नोटिस तामील जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण को एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (3) के प्रावधानों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उक्त अन्तरिम आदेश को आयन्दा/आगामी तारीख पेशी पर विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेंकाधिकार एवं अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को संशोधन/वैकेट कर दी जावेगा। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेशों की पालना एवं रास्ता खुलवावने व नवीन रास्ता चाहने के आदेशों, विधुत कनेक्शन व लाईन डालने तथा न्यायालय में विचाराधीन राको–रोडा व अन्य राजकिय वसुली के प्रकरणों में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नही होगी।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	19/09/25 पत्रावली पेश। मूलवाद Notepress के तहत खारिज किया जा चुका है। अत: प्रार्थना पत्र 212 RTA की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	